


राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/के-938/19/ दिनांक:-

आदेश

श्री कालूराम कुमावत, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गलवा आमेट राजसमन्द का स्वयं की बीमारी के कारण दिनांक 10.07.2017 से दिनांक 28.08.2017 तक 50 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (20 दिवस) की सीमा तक परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/के-938/19/457

दिनांक:- 30-04-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजसमन्द।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,आमेट राजसमन्द
3. संबधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।